उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–16/2013–14

राज्य बनाम रामवृक्ष रजवार।

आदेश

पूर्व में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 1511/रा0 दिनांक 1–9–2016 द्वारा अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 03–9–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्ती पंजी में किसी पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर अंकित नहीं होने और समुचित साक्ष्य नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब में कहा गया है कि उक्त भूमि 1988–89 में बिहार सरकार द्वारा विपक्षी को बन्दोबस्ती की गई तथा विपक्षी को पर्चा भी निर्गत किया गया। विपक्षी सरकारी मालगुजारी रसीद कटाकर उक्त भूमि पर शांति पूर्वक दखलकार चले आ रहे है; किन्तु आवेदक द्वारा बन्दोबस्ती की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 4–10–2016 को सभी बिन्दुओं पर जॉचोपरान्त स्पष्ट मंतव्य हेतु अभिलेख अपर समाहर्त्ता, कोडरमा को वापस भेजा गया है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1958/रा0 दिनांक 25/10/2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–16/2013–14 राज्य बनाम रामवृक्ष रजवार पिता–विदेशी रजवार, साकिन–कौवावर, अंचल–कोडरमा, संबंधित अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक के पृ0सं0– 13 से 16 पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी II के पृष्ट संख्या 5 वॉल्यूम III पर श्री रामवृक्ष रजवार, पिता–स्व0 विदेशी रजवार, साकिन–कौआवर, मौजा–कौआवर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0– 659, रकवा 1.20एकड़ अंकित है। पंजी II मे केश नं0 दर्ज नहीं है। उक्त पृष्ट पर प्रथम सरकारी लगान रसीद सं0 382448 वर्ष 06.2.1989 अंकित है। बन्दोबस्ती पंजी के क्रमांक 52 पर रामवृक्ष रजवार, पिता–विदेशी रजवार, साकिन–कौआवर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0–659, रकवा–1.20 एकड़ तथा स्वीकृत दर्ज है परन्तु पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक में अंकित किया गया है कि कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी से उक्त जमाबन्दीदार का नांम मिलान किया गया। कोडरमा से संबंधित बन्दोबस्ती पंजी 1988–89 की पृष्ट संख्या–12 पर बन्दोबस्तधारी का नाम दर्ज है पर किसी कर्मी/पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है जिससे कारण बन्दोबस्ती की पुष्टि नहीं होती है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्ती पंजी में किसी पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर अंकित नहीं होने और समुचित साक्ष्य नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा समुचित साक्ष्य के अभाव में बन्दोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई को विधि सम्मत बतलाया।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0– 659, रकवा 1.20 ए0 के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land:- मौजा–कौवावर, थाना नं0–236, खाता संख्या–92, प्लॉट नं0– 659, रकवा 1.20 ए0।

लेखाापित एवं संशोधित

21/11

उपायुक्त, कोडरमा

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

21/11

उपायुक्त
कोडरमा।